न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 78/2023

अपीलांट — बनाम — रेस्पोडेन्ट

1. निम्बसिंह पुत्र स्व0 अमरसिंह
2. तनसिंह पुत्र स्व0 अमरसिंह
3. मदनसिंह पुत्र स्व0 अमरसिंह
4. रिडमलसिंह पुत्र स्व0 अमरसिंह
5. छगनी पत्नी स्व0 अमरसिंह

(जाति राजपूत, निवासी गांव लिकडी, पोस्ट बालासर, तहसील शिव, जिला बाडमेर)

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिव जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शिव आदेश क्रमांक 81 दिनांक 01.01.2017

उपस्थिति –
1. श्री रेखाराम चौधरी, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 01.10.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी शिव के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2017 के द्वारा तहसीलदार शिव के पत्र क्रमांक 6656 दिनांक 27.12.2016 द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम बालासर के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित रकबा भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठ्ा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट्स के खसरा नम्बर 146, 142, 143 की भूमि में से (रास्ते संबंधी समस्याओं का निवारण अभियान–2016) के अनुसरण में अपीलांट्स को बिना नोटिस, सहमति एवं सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित है। इससे अपीलांट्स को रास्ते के अभाव में आने–जाने में भारी समस्या का सामना कर पड़ रहा है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण एवं जांच रिपोर्ट नही मंगवाई गई। उक्त आदेश व्यक्ति विशेष को फायदा पहुचाने की नीयत से एक तरफा कटाण रास्ता कर अपीलांट्स के खेत को रास्ते का उपयोग करने से वंचित कर दिया है, जबकि कटाण रास्ते को खसरा नं0 146 व खसरा नं0 278/143 के बीचों–बीच सेढे पर पीछे से आ रहे सीधे कटाण रास्ते को मिलाते हुए निकालना चाहिए था, जो नही निकाला गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश व उसकी पालना में समस्त कार्यवाही को निरस्त फरमाने का आग्रह करते हुए, खसरा नं0 146 व खसरा नं0 278/143 के सेढे कटाण रास्ता जो पीछे से सीधा चला आ रहा है, उसी को सीधा निकालने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि उक्त रास्ता राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.8.16 एवं जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्रांक 7250–40 दिनांक 10.10.16 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा संचालित ''रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान –2016 के तहत चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थायी रास्तों का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवाने हेतु तहसीलदार शिव के प्रस्ताव पर स्वीकृत किया गया है, जो कि उचित है। तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार शिव के प्रस्ताव पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः 81 दिनांक 01.01.2017 को अपीलांट्स के ख0नं0 146, 142, 143 की रकबा भूमि

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर